संख्या-47/2019/1788/22-2-2019-17(140)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 14 मई, 2019***

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10294/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-10.04.2019) दिनांक-10.04.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा, जो ग्राम-अरजानीपुर, थाना-कोतवाली, अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। नगेन्द्र सिंह अपने भाई नरेन्द्र सिंह (मृतक) के साथ शराब के ठेके का धन जमा करने आवकारी विभाग के कार्यालय गये थे। अकबरपुर बस स्टेशन की तरफ वापस लौटते समय सड़क पर मल्होत्रा ब्रदर्श के सामने बंदी ने दिनांक 25.12.1979 को लगभग 2.30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू देशी पिस्टल से नरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/1980 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.01.1981 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **15**.10.2003 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.03.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने शराब ठेके का धन आबकारी कार्यालय में जमा कर वापस लौटते समय दिनांक 25.12.1979 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, देशी पिस्टल से नरेन्द्र सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रकरण में रिट याचिका संख्या-5397/2019 सन्तराम बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सन्तराम वर्मा (बन्दी संख्या-952/2004) पुत्र श्री गयादीन वर्मा, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-47/2019/1788(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-47/2019/1788/22-2-2019-17(140)/2004

दिनांक 47 मई, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा, जो ग्राम-अरजानीपुर, थाना-कोतवाली, अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। नगेन्द्र सिंह अपने भाई नरेन्द्र सिंह (मृतक) के साथ शराब के ठेके का धन जमा करने आवकारी विभाग के कार्यालय गये थे। अकबरपुर बस स्टेशन की तरफ वापस लौटते समय सड़क पर मल्होत्रा ब्रदर्श के सामने बंदी ने दिनांक 25.12.1979 को लगभग 2.30 बजे 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू देशी पिस्टल से नरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/1980 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.01.1981 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **15**.10.2003 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.03.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बंदी ने शराब ठेके का धन आबकारी कार्यालय में जमा कर वापस लौटते समय दिनांक 25.12.1979 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, देशी पिस्टल से नरेन्द्र सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सन्तराम वर्मा पुत्र श्री गयादीन वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in